न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – राजेश मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निगरानी याचिका संख्या– 02/2021
सी.आई.एस नम्बर – 10/2021

मैसर्स सागर इलेक्ट्रीकल्स जरिये प्रोपराईटर भागचंद रावत पुत्र बाबूसिंह रावत, जाति–रावत, उम्र–50 वर्ष, निवासी सी–18 झलकारी बाई स्मारक के पास, पंचशील, अजमेर।

निगरानीकार

––बनाम––

1–राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक
2–अमरसिंह पुत्र हालूसिंह जाति–रावत
3–लेखराज पुत्र अमरसिंह, जाति–रावत,
निवासीगण ग्राम खाजपुरा पुलिस थाना आदर्शनगर तहसील व जिला अजमेर।

गैर निगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 06–01–2020 जो न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या – 6, अजमेर के द्वारा एफ.आर. संख्या 169/2017 परिवादी भागचंद बनाम सरकार मे पारित किया गया।

उपस्थित:–
1. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता, निगरानीकार की ओर से ।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
3-श्री रामसिंह रावत, विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं.2 व 3 की ओर से।

Authenticated Document

आदेश दिनांक 01–07–2026

1– निगरानीकार मैसर्स सागर इलेक्ट्रीकल्स जरिये प्रोपराईटर भागचंद की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 अजमेर द्वारा अंतिम प्रतिवेदन संख्या 169/2017 परिवादी भागचंद मे पारित आदेश दिनांक 06–01–2020 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। आलौच्य आदेश के अनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी/ निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटिशन को अस्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार का आदेश पारित किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यो के अनुसार परिवादी मैसर्स सागर इलेक्ट्रीकल्स जरिये प्रोपराईटर भागचंद ने दिनांक 18–3–2017 को विचारण न्यायालय के समक्ष एक परिवाद अमरसिंह एवं लेखराज के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी राज. राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर मे रजिस्टर्ड ठेकेदार है जिसका लाईसेंस नम्बर 7895–बी है। परिवादी को किशनगढ सर्किकल मे ठेके मिले जिस पर उसने अपना काम उपठेकेदारी पर देना तय किया। तब अभियुक्तगण परिवादी से मिले व बताया कि उनके पास बिजली विभाग मे ठेकेदारी का काम करने का अनुभव है तथा वे काम कर देगे,दोनो अभियुक्तगण पिता–पुत्र है। उन्होने उपठेकेदारी का इकरारनामा लेखराज के नाम पर तहरीर करवाया, जो 100 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर किया जाकर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। इसी आधार पर विभाग से उपकरण व माल–मैटेरियल प्राप्त करने का अधिकार पत्र इस शर्त के साथ दिया गया कि जो भी उपकारण व माल विभाग से प्राप्त करेगा, वह ठेके के काम मे लेगा व बचे हुए माल को वापस परिवादी या विभाग को जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेगा। दिनांक 19–3–2016 को अभियुक्तगण ने विभाग से उपकरण व परिवादी की फर्म के नाम से लिया व दिनांक 21–3–16,13–6–16,18–7–16,18–11–16,19–11–16 व 20–11–16 को विभाग से उपकरण व माल मैटेरियल प्राप्त किया जिसमे से अभियुक्तगण ने

उपठेकेदारी पर लिये गये कार्य का आधा भाग भी नहीं किया व उपकरण व माल मैटेरियल को पूरा नहीं लगाया । बचे हुए माल व मैटेरियल को परिवादी को नहीं सौपा न ही विभाग मे जमा करवाया। विभाग ने जब परिवादी को अवगत कराया कि उपठेकेदार विभाग के साथ बेईमानी कर रहा है तथा अमानत मे खयानत कर रहा है तथा वर्क आर्डर के अनुसार काम नहीं कर रहा है तथा विभाग का लगभग 4,50,000/–रूपये का सामान खुर्द बुर्द कर दिया है। जिस पर वह अभियुक्तगण से मिला व मौके पर जाकर सारा काम देखा तो अभियुक्तगण ने परिवादी के सामने स्वीकार किया कि वे काम नहीं करवा पाये, विभाग के अमानती उपकरण व माल मैटेरियल जो बचा उन्हे नहीं लौटाकर कबाडी को बेच दिया। अभियुक्तगण के मन मे शुरू से ही बेईमानी थी, जिन्होने परिवादी को विश्वास मे लेकर इकरारनामा कर एक लाख रूपये पहले ही ले लिये व माल को साईड पर नहीं लगाकर उसे खुर्द बुर्द कर कबाडी को बेचान कर दिया। आदि उक्त परिवाद विचारण न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु संबंधित आरक्षी केन्द्र को प्रेषित किये जाने पर पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 142/17 पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया व बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा मामले को अदम वकू झूठ का पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

3– जिस पर परिवादी ने प्रोटेस्ट पीटिशन प्रस्तुत की जिसमे उसने यह कथन किया कि परिवादी व उसके गवहान के बयान पुलिस द्वारा उनके कहे अनुसार नहीं लिखकर अपनी मर्जी से लिखे है। पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया है। अंत मे प्रोस्टेट पीटिशन स्वीकार कर प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

4– परिवादी ने अपने मामले के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे एवं गवाहान रमेश एवं अर्जुन को धारा 202 द.प्र.स. मे परीक्षित कराया।

5– तत्पश्चात विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी की बहस सुनकर आक्षेपित आदेश के माध्यम से परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पीटिशन को अस्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गयी है।

6– निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि परिवादी भागचंद रावत के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अनुसंधान हेतु प्रेषित किये जाने पर एक प्रथमसूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अलवरगेट पर धारा 420,406,120 बी भा.द.स. के तहत दर्ज की गयी, जिस पर पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से अनुसंधान नहीं कर अदम वकू झूंठ में एफ.आर. प्रस्तुत की । जिससे असन्तुष्ट होकर निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पीटिशन पेश की गयी तथा अपनी प्रोटेस्ट पीटिशन के समर्थन मे धारा 200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान लेखबद्ध कराये गये। निगरानीकार के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि न्यायालय के समक्ष जो बयान हुए उसमे परिवादी भागचंद व गवाह रमेश एवं अर्जुन के द्वारा इस तथ्य को स्पष्टतः प्रमाणित किया गया है कि बिजली कम्पनी से वर्कआर्डर निगरानीकार को प्राप्त हुआ, उस कार्य को करने के लिए निगरानीकर्ता ने लेखराज को जरिये इकरारनामा दिनांक 9–1–2016 के द्वारा कार्य करने हेतु नियुक्त किया था ओर इकरारनामा की शर्तो मे यह वर्णित है कि वह वर्क आर्डर के अनुसार कार्य करेगा। लेखराज ने पूरा माल व उपकरण विभाग से प्राप्त किये परन्तु कार्य पूरा नहीं किया और बचाव हुआ माल न तो विभाग मे जमा कराया और स्वयं उसे खुर्दबुर्द कर दिया। जिस पर विभाग ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध रिकवरी मीमो 4,50,000/–रूपये का जारी किया। इस प्रकार लेखराज के द्वारा बेईमानीपूर्वक परिवादी के साथ धोखाधडी कर विभाग के सामान का दुरूपयोग किया हैं। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420,406,120 बी भा.द.स. के तहत प्रसंज्ञान लिया जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष जो अन्य गवाहान रमेश व अर्जुन परीक्षित हुए है उन्होने भी इस तथ्य की ताईद की है कि इकरारनामा के बावजूद 1,00,000/–रूपये की राशि भागचंद से काम के पेटे ली गयी थी उस राशि को परिवादी को वापस नहीं किया है और कार्य भी नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया है वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत रहा है । इसलिए उक्त आदेश को अपास्त कियाजाना चाहिए।

7– अपर लोक अभियोजक एवं गैर निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त

Authenticated Document

तर्को का कडा विरोध किया व तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधिसंगत एवं विधिनुसार है।

8– निगरानीकार ने निगरानी याचिका के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण वह निगरानी याचिका विहित समयावधि मे प्रस्तुत नहीं कर सका । उक्त कोरोना महामारी एक प्राकृतिक आपदा थी। इस कारण निगरानी प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

9– उक्त तर्कों का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश अवैध, अशुद्ध व औचित्यहीन होकर कार्यवाही की अनियमितता से ग्रस्त है अथवा नहीं?

10– जहां तक धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन का संबंध है तो निगरानीकार ने कोरोना महामारी के कारण निगरानी याचिका प्रस्तुत करने मे विलम्ब होना बताया है एवं यह भी कथन है कि न्यायालय का कार्य विधिवत रूप से शुरू होने पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। बताया गया कारण संतोषजनक प्रकट होता है। अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर निगरानी याचिका प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

11– प्रस्तुत प्रकरण मे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 415,406 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का विवेचन करते हुए न्यायिक दृष्टान्त 2008 क्रिमीनल ला रिपोर्टर(सुप्रीम कोर्ट) 574 इन्दरमोहन गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तराचंल राज्य व अन्य के निर्णय का हवाला देते हुए यह निर्णीत किया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य इकरारनामा निष्पादित हुआ। अप्रार्थीगण का इकरारनामा निष्पादन करने से पूर्व षडयन्त्र व छल कारित करने का आशय हो, यह प्रथमदृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रकट नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा कथित इकरारनामा की पालना मे असफल रहने पर षडयन्त्र व छल कारित करने का आपराधिक आशय नहीं

माना जा सकता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420,406,120 बी भा.द.स. के अंतर्गत प्रथमदृष्टया अपराध बनने बाबत आधार मौजूद नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रोस्टेट पीटिशन को अस्वीकार करते हुए पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया।

12– न्यायालय के उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करे तो परिवादी स्वयं इस बात को मानता है कि परिवादी को विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कार्य ठेके पर मिला था, जिसे पूरा करने के लिए परिवादी ने गैर निगरानीकार को उपठेकेदारी पर उक्त कार्य दिया था, जिसके बाबत एक इकरारनामा निष्पादित किया गया था। प्रकरण मे परिवादी के स्वयं द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार के द्वारा इकरारनामा निष्पादित करने व राशि प्राप्त करने के पश्चात मे उक्त कार्य बिल्कुल भी नहीं किया हो और इकरारनामा निष्पादित करते समय गैर निगरानीकारगण का यह आशय रहा हो कि वे बेईमानीपूर्वक उक्त इकरारनामा का निष्पादिन करके राशि हडप कर लेगे और कार्य नहीं करेगे, ऐसा तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो से जाहिर नहीं होता है। गैर निगरानीकार के मन मे इकरारनामा निष्पादित किये जाने के समय ही बेईमानी का आशय हो,यह तथ्य परिवादी साबित कर पाने मे असफल रहा है। गैर निगरानीकार द्वारा इकरारनामा की पालना मे कार्य किया है, उक्त कार्य गुणवत्तापूर्वक और इकरारनामा के अनुरूप नहीं किया गया हो तो इस बाबत निगरानीकार के पास सिविल उपचार उपलब्ध है, मात्र इकरारनामा की पालना नहीं होने से आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। एस.एच.ओ. पुलिस थाना अलवरगेट के द्वारा जो एफ.आर. प्रस्तुत की गयी है उसमे भी यही आधार लिया गया है कि लेखराज ठेकेदार भागचंद से अपने हिस्से के भुगतान की राशि की मांग करता रहा और विद्युत विभाग ने ठेकेदार भागचंद को बचा हुआ सामान व उपकरण जमा करवाने हेतु नोटिस जारी कर दिया तो मुस्तगीस भागचंद ने उपठेकेदार लेखराज को किये गये कार्य का भुगतान नहीं कर उक्त बचे समान व उपकरण जमा करवाने का दबाब बनाने के लिए उक्त प्रकरण बढा चढाकर दर्ज करवा

दिया । एस.एच.ओ. पुलिस थाना अलवरगेट की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार लेखराज के द्वारा बिजली विभाग का सामान व उपकरण को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया है उसमे किसी प्रकार की अवैधता, अशुद्धता या औचित्यहीनता नहीं है, आलौच्य आदेश पूर्णतया विधिसम्मत होने से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार किये जाने व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–1–2020 पुष्ट किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

13– फलतः निगरानीकार सागर इलेक्ट्रीकल्स जरिये प्रो. भागचंद रावत द्वारा गैर निगरानीकारगण सरकार एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2020 को पुष्ट किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित प्रेषित किया जावे।

(राजेश मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2 अजमेर

14– आदेश आज दिनांक 01–7–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेश मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 2 अजमेर

RAM AVTAR GOYAL Digitally signed by RAM AVTAR GOYAL Date: 2026.07.01 15:52:36 +0530